31-8-22

पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री मदन सिंह, निवासी कूरबडा तह0 नीमकाथाना–सीकर, मैसर्स– जय अम्बे जनरल स्टोर, अरावली कॉलेज के पास इण्डस्ट्रीयल एरीय नीमकाथाना सीकर, उपस्थित हुये। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेद किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 06.01.2021 को सम 12:10 पी.एम. पर नीमकाथाना–सीकर में निरीक्षण के लिए मैसर्स– ज अम्बे जनरल स्टोर, अरावली कॉलेज के पास इण्डस्ट्रीयल एरी नीमकाथाना सीकर, पर पहुंचा। निरक्षण के दौरान विक्रय किये जा फर्म मैसर्स– जय अम्बे जनरल स्टोर, में अप्रार्थी श्री नरेन्द्र सिंह ल मिर्च पाउडर(डी.डी.ग्रुप) का विक्रय कर रहा था। विक्रेता को मैनें अप परिचय दिया व उनका नाम व पता पूछा तो उसने अपना नाम बता श्री नरेन्द्र सिंह से वर्ष 2022 का खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र के बारे में गया ... क्रेता ने मौके पर खाद्य लाइसेंस वर्ष 2022 होना बताय

(अनिल कुमार)
... निरीक्षक
एवं ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:53:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

फर्म पर श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा लाल मिर्च पाउडर (डी.डी.ग्रुप) का विक्रय किया जा रहा था। मैसर्स पर उपलब्ध 24X200 ग्राम लाल मिर्च पाउडर (डी.डी.ग्रुप) के स्टोक में से वास्ते नमूना जांच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राति रसीद ली। वास्ते नमूना जांच, 12X200 ग्राम लाल मिर्च पाउडर(डी.डी.ग्रुप) खरीदा जिसकी किमत विक्रेता को 480रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना **मिथ्याछाप लाल मिर्च पाउडर(डी.डी.ग्रुप)** पाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया एवं प्रकरण में अप्रार्थी के कारोबार को देखते हुये कम से कम जूर्मना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म लिखित में कबूल किया एवं कम से कम जुर्मना लगाने का अनुरोध किया।

प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी नम्बर एफ–2221 खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर (डी.डी.ग्रुप) का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण मिथ्याछाप लाल मिर्च पाउडर(डी.डी.ग्रुप) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लघंन पाया गया। यह कृत्य लोगो के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये। अप्रार्थी द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने से भी जुर्म कि गम्भीरता कम नहीं हो जाती है।

अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थीगण के 31,000 रु का जुर्मना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्मना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जुर्मना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के विरुद्ध खाद्य अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश आज दिनांक 31.08.2022 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज होकर दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर
नीमकाथाना, सीकर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:53:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner